न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 17/2020

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
चन्दनसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		नायब तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.06.2020 जो प्रकरण सं. 2/2020 में नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 05.02.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रकरण सं. 2/2020 सरकार बनाम चन्दनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का गुडानाल द्वारा नायब तहसीलदार सिवाना के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडानाल के खसरा नम्बर 694 रकबा 6–36 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन नाला सरकारी भूमि में से [illegible] वर्गफीट भूमि पर गैर सायल चन्दनसिंह द्वारा चीणों का [illegible] अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल बावजूद नोटिस तामील दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 17.06.2020 के द्वारा 19.50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 01.07.2020 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आनन–फानन मे प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे की भूमि में तोडफोड की कार्यवाही की गई। उस दिन अपीलांट सरकार के आदेश अनुसार क्वारेंटाईन था और उसे घर से बाहर जाने की पाबंदी थी। रेस्पोडेंट द्वारा की गई कार्यवाही एकपक्षीय थी जिसकी नकलें 22.06.2020 को प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट के विरूद्ध खसरा नंबर 694 की भूमि पर अतिक्रमण दर्शाया गया है जबकि अपीलांट खसरा नंबर 485 गैर मुमकिन सिवायचक भूमि पर काबिज था जिसके प्रमाण स्वरूप अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत जारी नोटिस में बताया गया। अपीलांट का कब्जा सिवायचक भूमि में [illegible] कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत किस्म परिवर्तन कर उपयोग उपभोग हेतु [illegible]तिबंधित नहीं है। इस प्रकार प्रथमतः उक्त आदेश पारित करने मे अ[illegible]स्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि

न्यायालय जिला ... बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है। द्वितीय अपीलाधीन कार्यवाही से यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट का कब्जा सिवायचक में है अथवा सरकारी गैर मुमकीन नाला की भूमि पर हैं! इसके अभाव में अपीलाधीन कार्यवाही आनन–फानन में की गई है जिसे अपास्त किया जाना न्याय संगत हैं।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम गुडानाल के खसरा नम्बर 694 रकबा 6–36 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नाला सरकारी भूमि मे से 625 वर्गफीट भूमि पर चीणों का कमरा दुकान निर्माण कर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नही हुआ तथा न ही इस अपील मे भी कोई ठोस आधार प्रकट किये गये हैं, जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हैं तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य–सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम गुडानाल में खसरा नंबर 485 गैर मुमकिन सिवाय... पर अपना कब्जा–अधिपत्य होना प्रकट किया है, तथा ... कि उसके विरूद्ध उक्त खसरा नंबर 485 में कब्जा होने के लिये धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 93/2010 संस्थित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर बाड़मेर

अपीलांट के इसी कब्जे के लिये पुनः खसरा नंबर 694 में अतिक्रमण की अपीलाधीन कार्यवाही की गई है। इस प्रकार मौके की वस्तुस्थिति ही स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि अपीलांट का कब्जा सिवायचक भूमि खसरा नंबर 485 में है अथवा खसरा नंबर 694 गैर मुमकिन नाला की भूमि पर हैं। अधीनस्थ न्यायाल की पत्रावली में अपीलांट के कब्जे की मौके की जांच 18.06.2020 को तहसीलदार सिवाना के द्वारा पुलिस इमदाद सहित की गई है किन्तु उक्त फर्दमौका अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में तैयार की गई है। रेस्पोडेंट नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर पैमाईश कर इस स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट का कब्जा वास्तविक रूप से किस भूमि पर है क्योंकि खसरा नंबर 694 व 485 एक ही सीमा से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये विवादित सरकारी भूमि पर अपीलांट के आधिपत्य बाबत भौतिक स्थिति पर भी कोई विवेचन नही किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही एक सरसरी जांच कार्यवाही है जिसके द्वारा मौके कब्जे की विस्तृत जांच एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पर अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:37 IST
Reason: SelfAttested